न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं.:– 290/2012

मन्जू देवी पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी चक दौलतपुर हाल निवासी रेन्जर हाउस श्रीपुरा बागर सूरजपोल डिस्पेन्सरी की सामने श्रीपुरा कोटा।

.................वादिया

बनाम

1.महावीर (मृतक)
1/1.मांगेसिंह } पिसरान महावीर
1/2.हरिओम
1/3.राधा पुत्री महावीर
2.समन्दर
3.विन्दा } पिसरान श्रीराम
4.ईश्वर
5.रामनारायण पुत्र जीतेला
6.करनसिंह पुत्र जीतेला
7.भगवानी पुत्री श्रीराम
8.गीतादेवी पुत्री दरबसिंह
9.चन्द्रवती पुत्री दरबसिंह
10.प्रतापसिंह
11.गोरधनसिंह
12.साहबसिंह } पिसरान घूड़े
13.गुलाबसिंह
14.लाखनसिंह
15.केशवसिंह
16.वदनसिंह } पिसरान थानसिंह
17.भीमसिंह
18.छिद्दा
19.रामसिंह } पिसरान रतनसिंह
20.लक्ष्मनसिंह
21.अमरसिंह
22.नत्थी पुत्र देवीसिंह

Web Copy - Not Official

23.रामरती
24.रामवती } पुत्रीयान देवीसिंह
25.सरोज

26.दीपा
27.दीवान } पिसरान सुक्खी
28.नानक

29.कन्हैया पुत्र रामचंद,

समस्त जातिगण जाट निवासी चकदौलतपुर तहसील व जिला भरतपुर

30.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

....................प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः15.03.2018

वादिया द्वारा जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गतधारा 53—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 30.05. 2012 की प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार भरतपुर कुर्रा रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एल.आर/13/3159 दिनांक 16.08.2013 के साथ प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार भरतपुर से कुरा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा कुरा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं करते हुऐ मुताबिक कुरा रिपोर्ट दावा वादिया अन्तिम डिक्री किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध कुरा रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया । प्राप्त कुरा रिपोर्ट पर उभयपक्ष की अभिभाषकगण को कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः मुताबिक कुरा रिपोर्ट दावा वादिया निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता हैः—

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

ग्राम चिकसाना

कुरा न0 1 :— वाके ग्राम चिकसाना तहसील भरतपुर स्थित आ0ख0न0 392/0.37 मन्जूदेवी पत्नि श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी चकदौलतपुर के खाते में रहेगा।

कुरा न0 2 :— वाके ग्राम चिकसाना तहसील भरतपुर स्थित ख.नं. 349/0.09, 391/0.30, 393/0.85, 509/0.39, 528/0.20, 533/0.63, 553/0.01, 554/0.50, 555/0.30,557/0.41,558/2649/0.13 कुल किता 11 रकवा 3.81 पर सूरज सिंह, किरोरी सिंह, बहोरीसिंह, जगदीश पिसरान रामनारायण हि0 बराबर 1/4, लोटनसिंह, राजवीर सिंह पि0 करनसिंह 1/4, मृतक महावीर सिंह के वारिसान,समन्दर सिंह, विन्दा, ईश्वरसिंह पिसरान श्रीराम हि0 ब0 4/5, भगवानी पुत्री श्रीराम हि0 1/5 दर हि0 1/2 जाति जाट निवासी चक दौलतपुर खातेदार राहिन हि0 विन्दा, समन्दर सिंह बहोरीसिंह, जगदीश पी.एन.बी. चिकसाना मुर्त0 व राहिन हि0 ईश्वर सिंह भारतीय स्टेट बैंक भरतपुर खातेदार रहेगे।

आ0ख0न0 550/0.70 पर सूरजसिंह, किरोरीसिंह, बहोरीसिंह, जगदीश पि0 रामनारायन हिस्सा 1/4, लोटनसिंह, राजवीरसिंह पि0 करनसिंह हि0 1/4 मृतक महावीर सिंह के वारिसान, समन्दरसिंह, विन्दा, ईश्वरसिंह पिसरान श्रीराम हि0 4/5, भगवानी पुत्री श्रीराम हि0 1/5 हि0 1/2 दर 2 वीघा 1 विस्वा, मानसिंह समन्दर सिंह विन्दा, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम हि0 बरावर दर हि0 1 वीघा 17 विस्वा जाति जाट निवासी चकदौलतपुर खातेदार राहिन हिस्सा विन्दा समन्दर सिंह, बहोरी सिंह पी. एन.बी. चिकसाना खातेदार रहेगे।

आ0ख0न0 541/0.22, 542/0.20, 562/0.28 किता तीन रकवा 0.70 है0 में इन्द्राज मृतक महावीरसिंह के वारिसान, समन्दर सिंह विन्दा, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम हिस्सा बराबर जाति जाट निवासी चक दौलतपुर राहिन विन्दा, समन्दरसिंह पी.एन.बी. चिकसाना मुर्त0 राहिन, हिस्सा ईश्वर सिंह भारतीय स्टेट बैंक भरतपुर रहेगें।

ग्राम चकदौलतपुर

कुरा न0 1 :— वाके ग्राम चक दौलतपुर तहसील भरतपुर स्थित ख.न. 134/0.35, 324/0.14 किता 2 रकवा 0.49 पर मन्जू पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी सा0 देह की खातेदारी में रहेगे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुरा न0 2 :— वाके ग्राम चकदौलतपुर स्थित ख.न. 350/0.21, 364/0.24, 365/0.20, 369/0.40, 370/0.25 किता 5 रकवा 1.30 है0 पर मृतक महावीर के वारिसान, समन्दर, विन्दावन, ईश्वर पि0 श्रीराम, मन्जू पत्नि भगवानसिंह हिस्सा बराबर—बराबर 1/10 के बजाय मृतक महावीर के वारिसान, समन्दर, विन्दावन, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम हि0 ब0 1/10 शेष मुताविक जमाबंदी अनुसार इन्द्राज रहेगा।

आराजी ख0नं0 249/0.01 पर श्रीराम पुत्र किशनलाल हिस्सा 2 बैल के स्थान पर मृतक महावीर के वारिसान,समन्दर,बिन्दावन,ईश्वरसिंह पिसरान श्रीराम हि0 4/5 ,भगवानदेई पुत्री श्रीराम हिस्सा 1/5 दर हि0 2 बैल जाति जाट सा0देह खातेदार । शेष इन्द्राज मुताबिक जमाबंदी रहेगा ।

आ0ख0न0 303/0.33, 309/0.35, 310/0.11, 325/0.12 किता 4 रकवा 0.91 पर महावीर, समन्दर, विन्दावन, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम, मन्जू पत्नि भगवानसिंह, भगवानदेई पुत्री श्रीराम हि0 बराबर 1/2 के स्थान पर मृतक महावीर के वारिसान, समन्दर, विन्दावन, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम, भगवानदेई पुत्री श्रीराम हिस्सा बराबर 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज मुताबिक जमावंदी अनुसार रहेगा।

खाता सं0 90 ख0न0 249/662 व अन्य कुल किता 29 रकवा 7.44 में मृतक महावीर के वारिसान, समन्दर, विन्दावन, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम, मन्जू पत्नि भगवानसिंह, भगवानदेई पुत्री श्रीराम हि0 ब0 1/2 के बजाय मृतक महावीरसिंह के वारिसान,समन्दर, विन्दावन, ईश्वरसिंह पि0 श्रीराम, भगवानदेई पुत्री श्रीराम हिस्सा बराबर 1/2 रहेगा शेष मुताबिक जमाबंदी अनुसार इन्द्राज रहेंगे।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुरा वाइज दावा वादिया मुताबिक कुरा रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः—

मुताबिक कुरा रिपोर्ट दावा वादिया अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुरा रिपोर्ट निर्णय व डिक्री के जुज रहेगी। 160/— रू0 के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 15.3.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर